अंक 32 । संख्या 3 । मार्च 2025

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

विचार-विमर्श
बच्चों पर कोर ग्रुप की बैठक
दिव्यांगता पर कोर ग्रुप की बैठक
महिलाओं पर कोर ग्रुप की बैठक

ओपर हाउस
डिजिटल युग में निजता और मानव अधिकार सुनिश्चित करना

रिपोर्ट
डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटने पर राष्ट्रीय सम्मेलन

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 32 । संख्या 3 । मार्च 2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनः प्रकाशित कर सकते हैं।

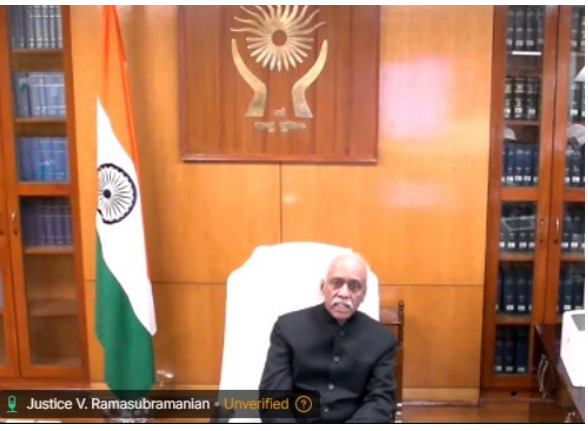

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएसएनएलयू), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित 'तेजी से बढ़ते डिजिटल परिदृश्य में आईपी और निजता को फिर से परिभाषित करना' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को ऑनलाइन संबोधित करते हुए।

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की डेस्क से

विचार-विमर्श

4 बच्चों पर कोर ग्रुप की बैठक
6 दिव्यांगता पर कोर ग्रुप की बैठक
8 महिलाओं पर कोर ग्रुप की बैठक
11 'डिजिटल युग में निजता और मानव अधिकार सुनिश्चित करना' विषय पर केन्द्रित ओपन हाउस चर्चा का आयोजन

रिपोर्ट्स

12 डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटने पर राष्ट्रीय सम्मेलन

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

15 स्वत:संज्ञान
16 राहत के लिए संस्तुतियां
17 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
19 केस स्टडीज
20 घटनास्थल पूछताछ

क्षेत्रीय दौरे

20 एनएचआरसी, भारत के सदस्य का दौरा
20 विशेष प्रतिवेदक और मॉनिटर

एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल आईआईएम, बोधगया के वार्षिक नेतृत्व सम्मेलन 'नेतृत्व' का उद्घाटन करने और बीज भाषण देने के पश्चात छात्रों के साथ।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

22 जेल और सुधारात्मक प्रशासन अकादमी के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण
22 भारतीय वन सेवा अधिकारी
23 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप
24 कार्यशालाएं
25 ज्ञानार्जन दौरे

पुरस्कार

26 एनएचआरसी, भारत लघु फिल्म प्रतियोगिता 2024 के विजेता
27 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी
28 राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार
30 संक्षेप में समाचार
31 आगामी कार्यक्रम
32 फरवरी, 2025 में शिकायतें

RNI No. 61957/95

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा फरवरी, 2025 माह में कई गतिविधियाँ की गईं। एनएचआरसी, भारत ने बच्चों, दिव्यंगों और महिलाओं पर अपने कोर ग्रुप की तीन बैठकें आयोजित कीं, डिजिटल युग में निजता और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने पर एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की, इसके अलावा आयोग ने डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का समर्थन किया। न्यूज़लैटर के इस संस्करण में इन विचार- विमर्शों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों और संभावित समाधानों के बारे में जानकारी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, एनएचआरसी ने जेल प्रणाली में मानव अधिकारों के महत्व पर उनकी क्षमता निर्माण को सुगम बनाने के लिए 12 फरवरी, 2025 को जेल और सुधार प्रशासन अकादमी (एपीसीए) के अधिकारियों के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया। सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि न्याय प्रशासन को निष्पक्षता, करुणा और मानवीय गरिमा के सम्मान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। जेल अधिकारी मानवीय जीवन स्थितियों और चिकित्सा देखभाल और कानूनी प्रतिनिधित्व के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए उतरदायी हैं, जिसमें सजा के बजाय पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 14 फरवरी, 2025 को आयोग ने पर्यावरण और वन प्रशासन के भीतर मानव अधिकारों के महत्व को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक सत्र में भारतीय वन सेवा अधिकारियों की मेजबानी की।

शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में, एनएचआरसी ने देश भर के 70 विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए दो सप्ताह की ऑनलाइन इंटर्नशिप भी आयोजित की, जिससे उन्हें परस्पर चर्चा सत्रों और विशेषज्ञों के नेतृत्व वाली चर्चाओं के माध्यम से विविध मानव अधिकार मुद्दों की व्यापक जानकारी प्रदान की गई। इन छात्रों को एनएचआरसी अधिकारियों, डोमेन विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के नेतृत्व वाले सत्रों के माध्यम से मानव अधिकार ढांचे की जानकारी प्रदान की गई, साथ ही तिहाड़ जेल और आशा किरण आश्रय गृह के वर्चुअल दौरे भी कराए गए। युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे भारत के मानव अधिकार एजेंडे को आगे बढ़ाने की अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, ऐसी पहल महत्वपूर्ण हैं।

आयोग ने मानव अधिकारों पर लघु फिल्म प्रतियोगिता के अपने 10वें संस्करण की विजेता लघु फिल्मों के परिणाम भी घोषित किए। तीन स्तरीय जूरी प्रक्रिया के बाद रिकॉर्ड 303 प्राप्त लघु फिल्मों में से 243 वैध प्रविष्टियों का चयन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में, इस प्रमुख प्रतियोगिता ने देश के विभिन्न हिस्सों में काफी लोकप्रियता हासिल की है, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित अद्भुत लघु फिल्में और डाक्यूमेंट्री तैयार की गई हैं। आयोग ऐसे सभी योगदानों को बहुत महत्व देता है जो मानव अधिकारों के संवर्धन एंव संरक्षण के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं, हालांकि विजेताओं का चयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्ष-वार पुरस्कृत फिल्में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं, जो मानव अधिकारों और संवेदनशीलताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्क्रीनिंग के लिए खुली रहती हैं। इस संस्करण में 2024 में पुरस्कार विजेता फिल्मों की रिपोर्ट है, जिसके लिए पुरस्कार समारोह कुछ समय बाद आयोजित किया जाएगा।

मुझे आईआईएम बोधगया और सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली में वार्ता के दौरान युवाओं को संबोधित करने का सौभाग्य मिला। भगवान बुद्ध, अशोक, गांधी और मंडेला जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए, परिवर्तनकारी विचारों को कार्रवाई की आवश्यकता होती है, और आज के युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज की बेहतरी के लिए ऐसे विचारों के बारे में सोचे और उन पर काम करें। मानव अधिकार केवल कानूनी निर्माण नहीं हैं, बल्कि वे मूल मानवीय मूल्य हैं जो भारत की 5,000 साल पुरानी सभ्यता को परिभाषित करते हैं।

भारत की विरासत सिर्फ़ सहिष्णुता की नहीं, बल्कि स्वीकार्यता की भी है, जो इसकी सभ्यता के ताने-बाने में समाहित है, और विविधता एवं करुणा के ऐतिहासिक मेल से आकार लेती है। राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलिश बच्चों से लेकर तिब्बती निर्वासितों और पूर्वी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और कई अफ्रीकी देशों से विस्थापित लोगों तक, ज़रूरतमंदों को शरण दी है।

आज के भारत में, जिसकी जनसंख्या 1.44 बिलियन है, भविष्य को स्वरुप देने में युवा पीढ़ी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को पूरा करने पर सरकार का ध्यान तेजी से बढ़ा है, और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

भारत का संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और गरिमा की रक्षा करते हैं, अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मांगने की अनुमति देता है। एनएचआरसी जैसी संस्थाएँ यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि ये अधिकार केवल आदर्श न रहे हों बल्कि ठोस वास्तविकताएँ बनके उभरे, कार्यस्थल सुरक्षा और हाशिए पर रहे समुदायों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करें।

अपने नागरिकों चाहे वे बच्चे हों, हाशिए पर रहे समुदाय, कैदी या दिव्यांगजन - के अधिकारों को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता - एनएचआरसी जैसी संस्थाओं के निरंतर काम से स्पष्ट है। दिव्यांगजनो के अधिकार अधिनियम, 2016 ने दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खासकर स्वास्थ्य सेवा और बीमा जैसे क्षेत्रों में।

जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, यह याद रखना ज़रूरी है कि मानव अधिकार सिर्फ़ कानूनी ढाँचे नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के मूल मूल्यों का प्रतिबिंब हैं। सभी नागरिकों, ख़ास तौर पर सबसे कमज़ोर लोगों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत सभी के लिए सम्मान, समानता और न्याय सुनिश्चित करने की अपनी सदियों पुरानी परंपरा को पूरा करने की राह पर अग्रसर रहे। अब ज़िम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है कि वे इस विरासत को आगे बढ़ाएँ, यह सुनिश्चित करें कि न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की खोज में कोई भी पीछे न छूटे।

आशा है कि समाचार-पत्र का यह संस्करण ज्ञानवर्धक पठन सामग्री उपलब्ध कराएगा, जिसमें आयोग की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रिपोर्टें और नियमित अद्यतन जानकारी शामिल होगी।

[भरत लाल]
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी, एनएचआरसी, भारत

विचार-विमर्श

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयगत मुद्दों पर कई कोर ग्रुप्स का गठन किया है, ताकि संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले डोमेन विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की जा सके। इन कोर ग्रुप बैठकों के अलावा, आयोग मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित करता है। आयोग समय-समय पर मौजूदा ढांचे में बाधाओं को दूर करने और संभावित समाधान सुझाने के लिए राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित करता है। फरवरी, 2025 में आयोग ने तीन ऐसे विचार-विमर्श आयोजित किए।

बच्चों पर कोर ग्रुप की बैठक

आयोग ने 4 फरवरी, 2025 को अपने परिसर में 'कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के मानव अधिकार' विषय पर केंद्रित अपने कोर ग्रुप की एक हाइब्रिड बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के बारे में प्रामाणिक और सत्यापित डेटा होना आवश्यक है ताकि उनकी समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझा जा सके और उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दिए जा सकें। इस दौरान सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ वक्ता मौजूद थे।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन बैठक की अध्यक्षता करते हुए

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा के अनुसार, दो प्रमुख चिंताएँ विशेष रूप से सामने आई हैं, जिसमें कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के बारे में डेटा एकत्र करना और पहले से उपलब्ध डेटा को प्रमाणित करना शामिल है। इसलिए, उन्होंने सहमति व्यक्त की कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समन्वय और परामर्श से एक कार्यकारी समूह का गठन किया जाए जो कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों से संबंधित उपलब्ध डेटा की जांच और प्रमाणिकता सुनिश्चित करे, विशेष रूप से उनके आयु और संख्या के बारे में, न कि उनकी पहचान के बारे में।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष ने किशोर न्याय देखभाल के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों से यह भी कहा कि वे किशोर न्याय प्रणाली के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपायों के हिस्से के रूप में कानूनों में संशोधन, नियमों में बदलाव या एसओपी द्वारा सुधार लाने के लिए अपने सुझावों को अलग-अलग रखें। उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और एनएचआरसी की राज्यवार बैठकें आयोजित करने के सुझाव से भी सहमति जताई ताकि उनकी काउंसलिंग, पुनर्वास और परिवारों में पुनः एकीकरण के संदर्भ में भविष्य की संभावनाएं खोजी जा सके।

यूनिसेफ के तत्वावधान में 'वैकल्पिक उपायों के अनुप्रयोग के लिए आयोग' नामक कार्य समूह की रिपोर्ट 'कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के अधिकार 2007' का हवाला देते हुए, एनएचआरसी अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि एनएचआरसी कोर समूह उन तर्ज पर किशोर न्याय देखभाल के लिए समाधान विकसित कर सकता है जिसमें डायवर्जन कार्यक्रम विकसित करने की सिफारिशें शामिल हैं;

i.) किशोर अपराधियों को अपराध स्वीकार करना चाहिए;

ii.) किशोर अपराधियों को डायवर्सन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए;

iii.) किशोर अपराधी न्यायालय प्रक्रिया के हकदार हैं यदि वे या उनके अभिभावक डायवर्सन उपायों से असहमत हैं;

iv.) किशोर अपराधी किसी भी समय डायवर्सन प्रक्रिया से हट सकते हैं और औपचारिक न्यायालय प्रक्रिया का विकल्प चुन सकते हैं।

डायवर्सन कार्यक्रम में सात घटक शामिल हैं: पीड़ित-अपराधी मध्यस्थता, चेतावनी, स्थानीय समुदाय सुधार परिषद, संयुक्त परिवार बैठकें, सर्कल ट्रायल, किशोर न्यायालय और सामुदायिक सेवा।

यूनिसेफ वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि अपराधों को अक्सर राज्य के खिलाफ अपराध के रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्हें पीड़ित के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, ताकि सुलह की कोशिश की जा सके। इसमें सुझाव दिया गया है कि किशोरों को समाज में सुधार करने की अनुमति देने से उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड के बिना तेजी से फिर से एकीकृत करने में मदद मिल सकती है, जिससे उन्हें भविष्य में रोजगार या सामाजिक बहिष्कार के मुद्दों से बचने में मदद मिलेगी।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि आयोग बाल अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, यह बच्चों के मानव अधिकारों के विभिन्न विषयगत मुद्दों पर विभिन्न परामर्शों का आयोजन करता रहा है और समय-समय पर परामर्शी भी जारी करता रहा है। कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के मानव अधिकारों पर चर्चा का आयोजन चुनौतियों की पहचान करने, वयस्क जेलों में बंद किशोरों, सुधार गृहों में बंद किशोरों और कानून के साथ संघर्ष कर रहे किशोरों के पुनर्वास के उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ किशोर न्याय प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाने के लिए भी किया गया है। उन्होंने कहा कि किशोरों को केवल अपराधी के बजाय परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखा जाना चाहिए, उन्होंने पुनर्वास उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया जो उन्हें समाज में फिर से शामिल करने में मदद करेंगे, उन्हें बेहतर भविष्य के अवसर प्रदान करेंगे।

एनएचआरसी, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेन्द्र सिंह ने बैठक का संक्षिप्त विवरण दिया और चर्चा के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की, जो कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के लिये महत्वपूर्ण है। चर्चा में श्री राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक, बीपीआरएंड; सुश्री ईशा पांडे, डीआईजी, बीपीआरएंडडी; श्री बालकृष्ण गोयल, एनएचआरसी के बच्चों पर विशेष मॉनिटर; श्री आमोद के. कंठ, संस्थापक और संरक्षक प्रयास किशोर सहायता केंद्र (जेएसी) सोसाइटी; प्रो. विजय राघवन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज; श्री सौरभ घोष, सीआरवाई; सुश्री स्वागता राहा, कानूनी शोधकर्ता, और प्रमुख रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेज एनफोल्ड इंडिया; एडवोकेट अनंत कुमार अस्थाना, बाल अधिकार वकील; सुश्री दीपशिखा, प्रयास किशोर सहायता केंद्र (जेएसी) सोसाइटी, सहित कई विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने सुझाव और इनपुट दिए। बैठक में एनएचआरसी के महानिदेशक (अन्वेषण), श्री राम प्रसाद मीना और रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह भी शामिल हुए।

चर्चा से प्राप्त कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार हैं;

- कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों से संबंधित कार्यवाही की जानकारी उनकी पहचान उजागर किए बिना पोर्टल पर उपलब्ध कराना;
- सभी राज्यों में बाल संरक्षण अधिकारियों का एक कैडर स्थापित करना;
- बाल संरक्षण कार्यबल के भीतर जिम्मेदारियों की पहचान करना और उनका निर्धारण करना, तथा बाल देखभाल तंत्र को मजबूत करने के लिए रिक्त पदों को भरना;
- परामर्शदाताओं सहित पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करते हुए बाल देखभाल संस्थानों का सोशल ऑडिट करना;
- बच्चों को उपयोगी गतिविधियों में शामिल करने के लिए संस्थागत योगदान को प्रोत्साहित करना;
- कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के लिए कानूनी सहायता तंत्र को मजबूत करना;
- बाल अपराधियों के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में 'सामुदायिक सेवा' को बढ़ाना;
- कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के लिए पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमों को नया रूप देना;
- बाल कल्याण में शामिल हितधारकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शुरू करना, जिसमें बाल

▶ प्रतिभागियों का एक समूह

अपराधियों के व्यवहार संबंधी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए;

- देश भर में बाल अपराधियों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को एकत्रित करना और उनका प्रचार करना;
- बाल देखभाल संस्थानों के लिए वित्त पोषण और कर्मचारियों की भर्ती में वृद्धि;
- प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करना।

आयोग देश में कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए इन सुझावों और इनपुट पर आगे विचार-विमर्श करेगा।

दिव्यांगता पर कोर ग्रुप की बैठक

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 17 फरवरी, 2025 को, नई दिल्ली में 'प्रगतिशील दिव्यांगताओं को पहचानना – दिव्यांगता अधिकारों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना' विषय पर हाइब्रिड मोड में एक कोर ग्रुप मीटिंग आयोजित की। इसकी अध्यक्षता एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी, महासचिव श्री भरत लाल, श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और एनएचआरसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, डोमेन विशेषज्ञों और चिकित्सकीय प्रोफेसेनल की उपस्थिति में की।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन बैठक की अध्यक्षता करते हुए और साथ में उपस्थित सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि दुनिया को दिव्यांगता अधिकारों के लिए मानव अधिकार दृष्टिकोण अपनाने में 30 साल लग गए। दुनिया में दिव्यांगजनों के कल्याण की मांग से संबंधित कानूनों और नीतियों के विकास को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में, अंतरराष्ट्रीय विकास के समानांतर 1987 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 1995 का दिव्यांगजन अधिनियम और 2016 का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम शामिल हैं।

हालांकि, उन्होंने कहा कि दिव्यांगता से संबंधित कानूनों, नीतियों और उनके कार्यान्वयन में सुधार की गुंजाइश हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी हितधारकों को दिव्यांगता से संबंधित कानूनों, नीतियों और उनके कार्यान्वयन में सुधार के लिए अपने सुझावों को प्राथमिकता देने की जरूरत है, जिसके लिए संसद, एनएचआरसी और न्यायपालिका के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिन्हें स्पष्ट कार्य योजना तैयार करने के लिए तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने कहा कि दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रणनीति बनाने और तरीके खोजने की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार सहित सभी हितधारकों को एक साथ आने और उनके गरिमापूर्ण तरीके से जीवन के लिए नैतिक समर्थन देने की आवश्यकता है। उनके चिकित्सा व्यय के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए।

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी बैठक को संबोधित करते हुए

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने चर्चा का एजेंडा तय करते हुए कहा कि आयोग सरकारी अधिकारियों, डोमेन विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों सहित कई हितधारकों के साथ संपर्क में रहता है। उन्होंने तीन तकनीकी सत्रों का अवलोकन दिया- प्रगतिशील दिव्यांगताओं को परिभाषित करना और उनका वर्गीकरण करना, दिव्यांगताओं को संबोधित करने के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचा और समावेशी और न्यायसंगत सहायता सेवाओं को बढ़ावा देना।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2.2 प्रतिशत आबादी दिव्यांग है। हालांकि, कई बार कलंक के कारण मामले कम दर्ज होते हैं, खासकर बुजुर्गों में, क्योंकि बुढ़ापे में

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

दिव्यांगता को अक्सर सामान्य माना जाता है। हालांकि संस्थागत प्रसव और बेहतर देखभाल के कारण पोलियो के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाओं और ऑटिज्म से दिव्यांगता बढ़ रही है, जिससे दिव्यांगता क्रम की प्रकृति में बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के संबंध में, दिव्यांगजनों के लिए सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों में 4 प्रतिशत और शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण है। उन्होंने भवनों, परिवहन और डिजिटल प्लेटफार्मों में बेहतर पहुंच की आवश्यकता पर बल दिया। भौतिक पहुंच में भारत यूरोपीय देशों से पीछे है, हालांकि दिव्यांगों के लिए शौचालय की सुविधा में सुधार हुआ है। वर्तमान में, देश में 70% से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्थायी हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शौचालय की सुविधा में सुधार हुआ है, लेकिन दिव्यांगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और अधिक काम किया जाना है।

प्रतिभागियों में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. सुनीता मंडल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायक महानिदेशक डॉ. रूपाली रॉय, सलाहकार श्री राजीव रतूड़ी, राष्ट्रीय दिव्यांगजन रोजगार संवर्धन केंद्र (एनसीपीईडीपी) की प्रतिनिधि सुश्री शिवानी जाधव, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं जीटीबी अस्पताल के फिजियोलॉजी के निदेशक-प्रोफेसर डॉ. सतेंद्र सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर सुश्री पूर्वा जी मित्तल, सेंस इंटरनेशनल (भारत) के निदेशक श्री अखिल एस पॉल, स्वावलंबन फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. वैभव भंडारी, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के सदस्य सचिव श्री विकास त्रिवेदी, एनएचआरसी के महानिदेशक (अन्वेषण) श्री आर प्रसाद मीना, रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह, निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह आदि शामिल थे।

चर्चा से प्राप्त कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

1. दिव्यांगों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना;

▶ श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, ईपीडब्ल्यूडी विभाग, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय चर्चा में भाग लेते हुए

2. मानक दिव्यांगताओं के लिए 40% के निशान पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कई लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और यहां तक कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र तक पहुंचने से रोकता है;
3. पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास प्रावधान बनाएं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें उच्च सहायता की आवश्यकता है, परिणामस्वरूप, देखभाल करने वालों का बोझ कम हो;
4. प्रगतिशील दिव्यांगताओं की एक स्पष्ट और व्यापक परिभाषा स्थापित करने और सहायक प्रौद्योगिकियों के विकास और पहुंच को बढ़ावा देने की आवश्यकता;
5. वित्तीय पहुंच पर अधिक ध्यान देने के साथ-साथ अधिक समावेशी और व्यापक स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था और योजनाओं की आवश्यकता;
6. शीघ्र हस्तक्षेप के लिए प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर निदान की आवश्यकता;
7. चिकित्सा व्यय की लागत कम करना;
8. दवाओं के स्थानीय उत्पादन को बढ़ाना ताकि उन्हें अधिक लागत प्रभावी बनाया जा सके;
9. दिव्यांगों की उचित देखभाल के लिए डॉक्टरों और आशा कार्यकर्ताओं सहित समुदाय-आधारित श्रमिकों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण बढ़ाने की आवश्यकता है;
10. दिव्यांगजनों की सहायता के लिए एआई उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
11. बेहतर स्वास्थ्य सेवा, नीतियाँ, उपचार, जाँच, वित्तीय सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता;
12. कार्यस्थल पर भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना;

आयोग दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों और अधिक जानकारी पर विचार-विमर्श करेगा।

महिलाओं पर कोर ग्रुप की बैठक

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 19 फरवरी, 2025 को, नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में 'मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को सशक्त बनाना: सम्मान के साथ कार्याधिकार को सुरक्षित करना' विषय पर केंद्रित महिलाओं के लिए हाइब्रिड मोड में एक कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी, महासचिव श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता की।

एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए पिछले 20 वर्षों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण नवजात और शिशु मौत दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति मिली है। आशा कार्यकर्ताओं ने यह साबित किया है कि औपचारिक शिक्षा के बिना भी व्यक्तियों को कुशल श्रमिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि आज के समय में भले ही शिक्षित लोगों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कुशल श्रमिकों की संख्या कम हो रही है। आशा योजना के माध्यम से इस अंतर को दूर किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ता कहती रही हैं कि उनका पारिश्रमिक समाज में उनके योगदान के अनुपात में नहीं है। विडंबना यह है कि कई बार जो सबसे अधिक योगदान देते हैं, उन्हें सबसे कम मिलता है; जो वंचित समाज की देखभाल करते हैं, वे खुद हाशिए पर चले जाते हैं।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और न्यूनतम मजदूरी तय करना राज्य का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में आते हैं। इसलिए, आशा

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन बैठक की अध्यक्षता करते हुए

कार्यकर्ताओं के कल्याण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयास होना चाहिए। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की कार्य स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार के लिए एक सशक्त नीति बनाने और कार्रवाई योग्य उपाय किए जाने का भी आह्वान किया।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और बच्चों से संबंधित किसी भी संकट के लिए चिकित्सक से परामर्श करने से पूर्व ही ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले पहुंचती हैं। इसलिए, कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका को पर्याप्त प्रोत्साहन, प्रतिपूर्ति और सुरक्षा के साथ बेहतर ढंग से पहचाना जाना चाहिए ताकि उनके सम्मान के साथ जीवन-यापन के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

इससे पहले, बैठक का एजेंडा निर्धारित करने के साथ-साथ पृष्ठभूमि प्रदान करते हुए, महासचिव श्री भरत लाल ने तीन तकनीकी सत्रों के विषय के बारे में बताया। इनमें 'आशा कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों की उभरती प्रकृति', 'अधिकारों के संरक्षण और उनके संवर्धन में सरकार की भूमिका' के साथ-साथ 'भविष्य की योजनाएं: आशा कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान के साथ कार्याधिकार को सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लेकर आई है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को देखते हुए, उनके कम

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी चर्चा में भाग लेते हुए

मानदेय, अत्यधिक कार्यभार और अपर्याप्त संसाधनों जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के रूप में उनकी अनुकरणीय भूमिका की भी सराहना की जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार किया है।

बैठक के दौरान मुख्य वक्ताओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सौरभ जैन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री पल्लवी अग्रवाल, झिपिगो इंडिया की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. श्वेता खंडेलवाल, राष्ट्रीय महिला गठबंधन (एनएडब्ल्यूओ) की अध्यक्ष सुश्री रूथ मनोरमा, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र की प्रोफेसर और निदेशक डॉ सबीहा हुसैन, महिला और बाल विकास मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. वैशाली बरुआ, राष्ट्रीय समन्वयक, यूएन महिला भारत; सुश्री दीपा सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय; सुश्री सुरेखा सचिव, आशा कार्यकर्ता और भारत के सुविधा प्रदाता महासंघ (एडब्ल्यूएफएफआई); सुश्री सुनीता, आशा कार्यकर्ता, हरियाणा, एनएचआरसी, भारत डीजी (अन्वेषण), श्री आर प्रसाद मीना, रजिस्ट्रार (विधि), जोगिंदर सिंह, निदेशक, लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह आदि शामिल थे।

बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श में निम्नलिखित सुझाव दिए गए;

- आशा कार्यकर्ताओं को निश्चित मासिक पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, सवेतन अवकाश आदि के साथ औपचारिक कार्यकर्ता का दर्जा देने पर विचार करने की आवश्यकता;
- राज्यों में मानदेय/मजदूरी का मानकीकरण, यह सुनिश्चित करना कि मानदेय न्यूनतम मजदूरी नियमों के अनुरूप हो;
- प्रोत्साहन-आधारित भुगतान संरचना को एक निश्चित राशि और प्रदर्शन-आधारित लाभ के साथ बदला जाए;
- आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और दुर्घटना कवरेज प्रदान किया जाए;

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

- क्षेत्र के दौरे के दौरान निशुल्क व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), परिवहन भत्ते और स्वच्छ-सुगम क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए;
- उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ सख्त नीतियां लागू करते हुए सभी क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित कार्य स्थितियां सुनिश्चित की जाएं;
- बाल देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और आशा कल्याण के लिए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम से अप्रयुक्त निधियों में से 49,269 करोड़ रुपये (2022 तक) का उपयोग किया जाए;
- प्रारंभिक बचपन देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के प्रशिक्षण को मजबूत करने की दिशा में 70,051 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान आवंटित किए जाएं;
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक केंद्रों पर राज्य-वित्त पोषित क्रच स्थापित किए जाएं ताकि आशा कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया जा सके जो घर पर प्राथमिक देखभालकर्ता भी हैं;
- आशा कार्यकर्ताओं के लिए उच्च-भुगतान वाली स्वास्थ्य देखभाल भूमिकाओं जैसे नर्सिंग, दाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में व्यवस्थित करियर का मार्ग सुनिश्चित किया जाए;
- रोग से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया में नियमित कौशल वृद्धि प्रशिक्षण प्रदान किया जाए;
- औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल भूमिकाओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से ब्रिज पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किए जाए;
- कार्यस्थल बाल देखभाल समाधान की पेशकश करने वाले नियोक्ताओं के लिए कर लाभ के साथ, बाल देखभाल और बुजुर्ग देखभाल बुनियादी व्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए;
- आशा कार्यकर्ताओं के पास वेतन और कार्य स्थितियों पर निर्णय लेने की शक्ति सुनिश्चित करने के लिए सेवा मॉडल जैसे सहकारी मॉडल को बढ़ावा दिया जाए; और
- किफायती समुदाय-आधारित देखभाल सेवाओं का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देते हुए आशा कार्यकर्ताओं के लिए अच्छे रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए।

▶ बैठक में आशा कार्यकर्ता सुनीता अपने अनुभव साझा करती हुई

'डिजिटल युग में निजता और मानव अधिकार सुनिश्चित करना' विषय पर केन्द्रित ओपन हाउस चर्चा का आयोजन

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमण्यमन ओपन हाउस चर्चा की अध्यक्षता करते हुए

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 18 फरवरी, 2025 को अपने परिसर में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल दुनिया में निजता को मानव अधिकार के रूप में सुरक्षित रखना आवश्यक है। तकनीकी प्रगति को मौलिक मानव अधिकारों और निजता सुरक्षा के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। जिम्मेदारी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डिजिटल स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने मूल्य प्रणालियों में हो रही गिरावट की ओर भी इशारा किया, और चेतावनी दी कि इन बदलावों के परिणामों का भुगतान किसी न किसी को तो करना पड़ेगा।

उन्होंने नवाचार, सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन बनाने वाले एक मजबूत नियामक ढांचे के विकास के लिए डिजिटल अधिकारों और कॉर्पोरेट जवाबदेही पर समावेशी चर्चा को बढ़ावा देने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी चर्चा में भाग लेते हुए

एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी ने डिजिटल साक्षरता की कमी के बारे में चिंता जताई, जिसके कारण कई लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं जो उन्हें ठग सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में आम लोगों द्वारा इसके सुरक्षित उपयोग को अधिकतम करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने चर्चा के लिए एजेंडा निर्धारित करते हुए एक महत्वपूर्ण उभरते मुद्दे यानी 'डिजिटल युग में निजता और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना: कॉर्पोरेट डिजिटल जिम्मेदारी पर ध्यान' को इस चर्चा का उद्देश्य बताया। उन्होंने तीन उप-विषयों का अवलोकन दिया: 'एक उचित नियामक ढांचा और अनुपालन तंत्र की स्थापना', 'डेटा निजता की संस्कृति का निर्माण', एवं 'खतरों और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान'। 2023 के आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि भारत में 20% से अधिक वैश्विक डेटा उत्पन्न होता है, जबकि इसमें केवल लगभग 3% भंडारण क्षमता है, जिसके लिए भारतीय कॉर्पोरेट्स की प्रमुख भूमिका की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण संस्थाओं पर इस डेटा को 'ट्रस्टी' के रूप में रखने की बड़ी जिम्मेदारी लाता है। इस ट्रस्टीशिप में किसी भी तरह का विश्वासघात अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों की ऑनलाइन निजता की रक्षा करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए व्यक्तियों, निजी क्षेत्रों, जो एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और सरकार और उसकी एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। श्री लाल ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और अन्य नियम लागू होने के बावजूद, डिजिटल युग में चुनौतियां बढ़ रही हैं। मसौदा नियमों को अधिसूचित किया गया है और

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ओपन हाउस में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

परामर्श प्रक्रिया चल रही है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑनलाइन लोगों की निजता की रक्षा करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए व्यक्तियों, निजी क्षेत्रों (जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं) तथा सरकार और उसकी एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

बैठक में डेटा के दुरुपयोग और डेटा उल्लंघनों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या की गंभीरता पर व्यापक चर्चा की गई। इसके अलावा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के कई प्रमुख प्रावधानों पर भी चर्चा की गई।

प्रतिभागियों ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा उपयोगकर्ता डेटा पर लगाए गए व्यापक नियंत्रण पर चिंता जताई, जो विनियामक प्रवर्तन को जटिल बनाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अक्सर अपतटीय केंद्रों में डेटा भंडारण के कारण महत्वपूर्ण डेटा तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर बढ़ती निर्भरता, निजता को बनाए रखना अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती है।

चर्चा के दौरान मसौदा डेटा सुरक्षा नियमों में खामियों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें 72 घंटों के भीतर डेटा उल्लंघन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता और व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाले अनुसंधान संस्थानों की जवाबदेही शामिल है। सरकारी प्रतिनिधियों ने डेटा सुरक्षा विनियमों पर चल रहे परामर्शों, विशेष रूप से डेटा निजता अधिकारों को बढ़ाने के लिए नामांकन के अधिकार की शुरूआत पर भी बात की।

कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने डेटा सुरक्षा, डिजिटल कल्याण और अनुपालन-दर-डिज़ाइन रणनीतियों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। हालाँकि, उन्होंने परिचालन चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, विशेष रूप से जटिल बहुस्तरीय डिजिटल संचालन को नेविगेट करने में। कम डिजिटल पकड़ वाले वातावरण से संरचित डेटा सुरक्षा ढांचे में प्रवेश करने वाली कंपनियों ने यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन (जीडीपीआर) जैसे उभरते व्यापार मॉडल और वैश्विक अनुपालन आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए नियामक लचीलेपन की आवश्यकता पर जोर दिया। मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम, 2025 का उल्लेख करते हुए, कॉर्पोरेट हितधारकों ने कहा कि इसमें गैर-अनुपालन के लिए स्पष्ट दंड प्रावधान और नाबालिगों के लिए सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश शामिल होने चाहिए।

प्रतिभागियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के पास डेटा संग्रह के लिए सहमति देने के सीमित विकल्प हैं, क्योंकि कई व्यावसायिक मॉडल डेटा साझा करना अनिवार्य करते हैं। ट्राई द्वारा मौजूदा डू-नॉट-डिस्टर्ब (डीएनडी) तंत्र को अप्रभावी माना गया।

प्रतिभागियों में श्री शैलेन्द्र त्रिवेदी , मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री दीपक गोयल , समूह समन्वयक (साइबर कानून), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री अंकुर रस्तोगी , प्रिंसिपल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, ईजीएसटीएम, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस), श्री संजय भट्टाचार्जी , मुख्य डेटा अधिकारी, एचडीएफसी बैंक, श्री अजय गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, आईसीआईसीआई बैंक, श्री सौमेंद्र मत्तगजसिंह , समूह मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक, श्री राजीव कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, पीबी फिनटेक , पॉलिसी बाज़ार, श्री समीर बजाज, संचार और कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख, मेकमाई ट्रिप , श्री आशीष अग्रवाल , उपाध्यक्ष एवं नीति प्रमुख, नैसकॉम, डॉ. मुक्तेश चंदर, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, श्री तनवीर हसन ए.के., कार्यकारी निदेशक, सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी (सीआईएस) इन इंडिया और श्री समीर कोचर, अध्यक्ष स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन, एनएचआरसी, भारत रजिस्ट्रार (विधि), जोगिंदर सिंह, निदेशक, लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह आदि शामिल थे।

चर्चा से निकले कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार थे;

- उपभोक्ता की समझ और व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ता समझौतों और नीति ढांचे को सरल बनाना;
- डेटा उल्लंघनों के लिए स्पष्ट जवाबदेही संरचनाएं स्थापित करें, विशेष रूप से अनुसंधान संस्थानों और तीसरे पक्ष के डेटा प्रोसेसरों के लिए;
- अधिक पारदर्शिता और सूचित निर्णय लेने के लिए उपयोगकर्ता सहमति ढांचे को मजबूत करना;

▶ ओपन हाउस चर्चा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का एक समूह

- प्रस्तावित डेटा संरक्षण बोर्ड के अधिदेश और संरचना को परिभाषित करना;
- भारत-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करते हुए छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए डेटा निजता विनियमों के प्रति स्थानीय दृष्टिकोण विकसित करना ;
- कंपनियों को डिजिटल परिचालन में निजता-द्वारा-डिजाइन सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना;
- लक्षित डिजिटल निजता और साइबर सुरक्षा साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना;
- गैर-अनुपालन के लिए स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान हों;
- सीमा पार सुरक्षा और डेटा साझाकरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए द्विपक्षीय समझौतों की आवश्यकता;
- स्थानीयकरण अनिवार्यताओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना ; और
- नाबालिगों के लिए सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश।

रिपोर्ट्स

डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटने पर राष्ट्रीय सम्मेलन

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 'डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटने' पर राष्ट्रीय सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा रायपुर, छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 7 फरवरी, 2025 को 'डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटने' पर केंद्रित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। मानव दुर्व्यापार के लिए डिजिटल तकनीकों का तेजी से दोहन किया जा रहा है, इस सम्मेलन में मानव दुर्व्यापार अपराधों को बढ़ावा देने में इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्रिप्टोकरेंसी और विभिन्न ऑनलाइन टूल की भूमिका और उन्हें रोकने में तकनीक, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और समुदाय की भूमिका की जांच की गई।

इसका वर्चुअल उद्घाटन करते हुए, न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने यौन शोषण, श्रम शोषण, अंग दुर्व्यापार और जबरन विवाह जैसे डिजिटल दुर्व्यापार के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला। उन्होंने "एक्टिव रिक्रूटमेंट" जिसे हुक फिशिंग के रूप में जाना जाता है, और "पैसिव रिक्रूटमेंट" जिसे नेट फिशिंग के रूप में जाना जाता है, पर भी बात की, जिसमें भोले-भाले लोगों को प्रलोभित करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाता है।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष ने डिजिटल स्पेस के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए नियामक और संस्थागत ढांचे के साथ-साथ तकनीकी समाधानों को मजबूत करने के अलावा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्पेस से जुड़ने के दौरान होने वाले नुकसानों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

▶ डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटने पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का एक समूह

सम्मेलन को दो विषयगत सत्रों में विभाजित किया गया था। पहला सत्र मानव दुर्व्यापार और प्रवासी दुर्व्यापार को सुविधाजनक बनाने में इंटरनेट की भूमिका: एक विधिक, प्रशासनिक और नियामक परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित था। इसकी अध्यक्षता श्रीमती भामती बालासुब्रमण्यम, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने की, तथा सह-अध्यक्षता डॉ. संजीव शुक्ला, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर द्वारा की गयी। अन्य संसाधन व्यक्तियों में डॉ. के. वी. के. संथी, विधि के प्रोफेसर, नालसार हैदराबाद; श्री कीर्तन राठौर, अतिरिक्त एसपी, रायपुर; और श्रीमती प्रतिभा तिवारी, अपर एसपी, महासमुंद शामिल थे।

▶ एनएचआरसी, भारत के रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हुए

इस सत्र में मानव दुर्व्यापार में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों पर व्यापक चर्चा की गई, जिसमें इसके लैंगिक आयामों और ऐसे अपराधों को सुविधाजनक बनाने में डिजिटल गुमनामी की बढ़ती भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी दुर्व्यापार के मुद्दों, विशेष रूप से भर्ती रणनीतियों, समन्वय नेटवर्क और पीड़ितों की दुर्व्यापार की जांच करने पर केंद्रित था।

विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़ में दुर्व्यापार के मामलों पर प्रकाश डाला, गैर-रिपोर्टिंग की लगातार समस्या पर बात की और इन चुनौतियों से निपटने में मानव दुर्व्यापा रविरोधी इकाइयों (AHTU) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। सत्र में दुर्व्यापार से निपटने के लिए मौजूद नियामक तंत्रों की भी खोज की गई, जिसमें क्षमता निर्माण की आवश्यकता और डिजिटल युग के अनुरूप एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के विकास पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, वक्ताओं ने दुर्व्यापार के मामलों, विशेष रूप से सोशल मीडिया और गुमशुदा बच्चों से जुड़े मामलों को ट्रैक करने और रोकने में इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक की भूमिका पर प्रकाश डाला।

दूसरा सत्र "मानव दुर्व्यापार के खिलाफ निवारक रणनीति: प्रौद्योगिकी की भूमिका, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, पीड़ित सहायता और सामुदायिक सहभागिता" विषय पर केंद्रित था। इसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के संयुक्त निदेशक डॉ मनीष मिश्रा और सह-अध्यक्षता बाल कल्याण समिति (रायपुर) के सदस्य डॉ पुरुषोत्तम चंद्राकर ने की। पैनलिस्टों में इम्पैक्ट एंड डायलॉग फाउंडेशन (कोलकाता) की संस्थापक और निदेशक सुश्री पल्लबी घोष, सुश्री चेतना देसाई, यूनिसेफ, छत्तीसगढ़ के बाल संरक्षण अधिकारी श्री रितेश कुमार और एचएनएलयू में विधि के प्रोफेसर (डॉ) विष्णु कोनूरायर भी शामिल थे।

श्री जोगिंदर सिंह, रजिस्ट्रार (विधि), एनएचआरसी, भारत ने अपने समापन भाषण में कहा कि मानव दुर्व्यापार से निपटना एक वैश्विक प्रयास है जिसके लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और व्यक्तियों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

सम्मेलन में मानव दुर्व्यापार की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए कई प्रमुख सुझाव सामने रखे गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- बाल और वयस्क दुर्व्यापार के बीच स्पष्ट अंतर करने के लिए अनैतिक दुर्व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (आईटीपीए) में संशोधन करना, इसके दायरे में साइबर दुर्व्यापार को शामिल करने के लिए विशिष्ट प्रावधान करना;
- मौजूदा कानूनी अंतराल को पाटने और डिजिटल क्षेत्र में दुर्व्यापार का समाधान करने के लिए आईटीपीए और आईटी अधिनियम के बीच औपचारिक संबंध की आवश्यकता;
- महिलाओं और बच्चों की केंद्रीकृत शिकायत और रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) जैसे स्व-रिपोर्टिंग पोर्टलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो दुर्व्यापार के मामलों की रिपोर्टिंग में सार्वजनिक भागीदारी के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं;
- डिजिटल युग में दुर्व्यापार से निपटने के लिए मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) को व्यवस्थित और प्रशिक्षित करना;
- नीतियों और हस्तक्षेपों को बेहतर ढंग से सूचित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में मानव दुर्व्यापार पर प्रामाणिक डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्र करने की आवश्यकता;
- स्थानीय समुदायों को ऐसे अपराधों को रोकने और रिपोर्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करके सभी प्रकार की दुर्व्यापार से निपटने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सामुदायिक जुड़ाव की आवश्यकता;

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बारे में जानने के लिए मीडिया रिपोर्टें बहुत उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के ऐसे कई मुद्दों का स्वत: संज्ञान लिया और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत पहुंचाई। फरवरी, 2025 के दौरान, आयोग ने स्वत: संज्ञान से मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 04 मामलों में संज्ञान लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट के लिए नोटिस जारी किए गए। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

स्वत:संज्ञान

जहरीली गैस के कारण छात्रों का बीमार पड़ना

(केस नं. 28/33/22/2025)

23 जनवरी, 2025 को मीडिया ने खबर दी कि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में एक सरकारी स्कूल के करीब 38 छात्र पास की सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस की वजह से बीमार पड़ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों को जी मिचलाना, उल्टी और बेचैनी की शिकायत हुई और वे बेहोश होने लगे।

आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कथित स्वास्थ्य खतरे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी शामिल होने की अपेक्षा है।

जहरीली गैसों के कारण मौत

(केस नं. 168/25/5/2025)

3 फरवरी, 2025 को मीडिया ने बताया कि 2 फरवरी, 2025 को कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स में एक सीवर जोड़ की मरम्मत करने के लिए 10 फुट गहरे मैनहोल में प्रवेश करते समय जहरीली गैसों के संपर्क में आने के कारण डूबने से तीन निर्माण श्रमिकों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के तहत एक ड्रेनेज नेटवर्क के एक हिस्से के नवीनीकरण के लिए एक ठेकेदार द्वारा तैनात किया गया था।

आयोग ने पाया है कि अगर यह सच है तो यह पीड़ितों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें मामले की जांच की स्थिति भी शामिल होने की अपेक्षा है।

सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय दो लोगों की मौत

(केस नं. 212/25/23/2025)

16 फरवरी, 2025 को मीडिया ने बताया कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के वेकुटिया गांव के नंदीग्राम ब्लॉक में एक सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के कारण दो लोगों की मौत हो गई और एक ही परिवार के दो अन्य घायल हो गए।

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो यह पीड़ितों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मामलों की जांच की स्थिति के साथ-साथ मृतक व्यक्तियों के निकटतम सम्बंधी को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है।

राहत के लिए संस्तुतियां

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को संबोधित करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की संस्तुति करना है। यह नियमित रूप से ऐसे विभिन्न मामलों को उठाता है और पीड़ितों को राहत देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और संस्तुतियां देता है। फरवरी, 2025 में 27 मामलों में पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी के लिए 193.25 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई थी, जिसमें पाया गया था कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	4221/18/27/2018-एडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	10.00	ओडिशा
2.	2904/20/14/2018-एडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	7.50	राजस्थान
3.	5581/30/6/2019-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5.00	दिल्ली
4.	234/9/3/2020-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5.00	जम्मू और कश्मीर
5.	693/36/24/2020-एडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5.00	तेलंगाना
6.	1753/1/5/2021-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	आंध्र प्रदेश
7.	3100/4/30/2020-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	बिहार
8.	1469/7/3/2022-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	हरियाणा
9.	1643/7/18/2022-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	हरियाणा
10.	2195/24/4/2021-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	उत्तर प्रदेश।
11.	33081/24/61/2022-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	उत्तर प्रदेश।
12.	1405/25/19/2022-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	पश्चिम बंगाल
13.	1715/6/5/2022-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4.00	गुजरात
14.	30444/24/12/2022	पेंशन/मुआवजे का भुगतान न करना	1.00	उत्तर प्रदेश।
15.	2317/1/10/2022	पेंशन/मुआवजे का भुगतान न करना	0.50	आंध्र प्रदेश
16.	332/10/11/2023-डब्ल्यूसी	मानसिक रूप से बीमार मरीज़ का यौन उत्पीड़न	2.00	कर्नाटक
17.	9732/24/4/2023	नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज न करना	0.50	उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
18.	2543/1/21/2021	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	0.25	आंध्र प्रदेश
19.	582/4/1/2023	बिजली विभाग की लापरवाही	2.00	बिहार
20.	678/4/38/2023	पारिवारिक पेंशन रोकना	0.25	बिहार
21.	1954/12/8/2022	पीछा करना और उत्पीड़न	0.25	मध्य प्रदेश
22.	169/20/34/2023	अवैध गिरफ्तारी	0.50	राजस्थान
23.	3402/18/8/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	3.00	ओडिशा
24.	19424/24/18/2021	बिजली का करंट लगने से मौत	5.00	उत्तर प्रदेश।
25.	3575/25/9/2022	अवैध शराब के सेवन से मौत	72.00	पश्चिम बंगाल
26.	87/25/23/2022	उद्योग/कारखाने में दुर्घटनाएँ	34.00	पश्चिम बंगाल
27.	593/34/12/2020	पुलिस अत्याचार	0.50	झारखंड

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

आयोग ने विभिन्न लोक प्राधिकरणों से भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट या अन्य अवलोकन/ निर्देश प्राप्ति होने पर फरवरी, 2025 के दौरान 51 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की संस्तुतियों पर पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी को ₹ 304.2 लाख की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1	31/2/11/2020-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5.00	अरुणाचल प्रदेश
2	2817/4/13/2015-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	7.50	बिहार
3	2094/30/4/2020-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	7.50	दिल्ली
4	636/7/6/2018-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	7.50	हरियाणा
5	144/8/11/2019-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	7.50	हिमाचल प्रदेश
6	25/14/15/2018-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5.00	मणिपुर
7	7882/24/38/2019-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	7.50	उत्तर प्रदेश।
8	2539/18/14/2019-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5.00	ओडिशा
9	273/20/10/2019-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5.00	राजस्थान
10	28760/24/14/2017-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5.00	उत्तर प्रदेश।
11	15/3/8/2021-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5.00	असम
12	23887/24/69/2019-एडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	5.00	उत्तर प्रदेश।
13	26868/24/18/2020-ई.	हिरासत में मौत (पुलिस)	7.50	उत्तर प्रदेश।

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
14	1185/25/17/2022-ई.डी.	हिरासत में मौत (पुलिस)	7.50	पश्चिम बंगाल
15	23/23/6/2020-ईस्वी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	त्रिपुरा
16	30100/24/44/2017-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	उत्तर प्रदेश
17	33437/24/21/2019-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	10.00	उत्तर प्रदेश
18	35188/24/63/2017-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3.75	उत्तर प्रदेश
19	7491/24/43/2021-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	उत्तर प्रदेश
20	164/25/24/2020-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	पश्चिम बंगाल
21	479/25/13/2021-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	पश्चिम बंगाल
22	1416/18/3/2019-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1.00	ओडिशा
23	150/6/26/2020-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4.50	गुजरात
24	328/6/14/2017-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.50	गुजरात
25	547/6/21/2021-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	गुजरात
26	1469/7/3/2022-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	हरियाणा
27	1980/7/1/2022-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	हरियाणा
28	1016/20/14/2019-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	राजस्थान
29	606/22/31/2021-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3.00	तमिलनाडु
30	13196/24/3/2019-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5.00	उत्तर प्रदेश
31	219/4/19/2020-ईस्वी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	7.50	बिहार
32	3311/30/0/2021	वैधानिक कार्रवाई करने में विफलता	0.50	दिल्ली
33	5725/30/2/2022	असामाजिक तत्वों द्वारा डराना/धमकी/जबरन वसूली	0.10	दिल्ली
34	1641/34/0/2016-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	4.00	झारखंड
35	3530/18/32/2022	शैक्षिक/तकनीकी संस्थान (सरकारी/निजी)	5.00	ओडिशा
36	3575/25/9/2022	अवैध शराब के सेवन से मौत	72.00	पश्चिम बंगाल
37	1721/24/39/2023	शारीरिक दंड	0.60	उत्तर प्रदेश।
38	29522/24/8/2021-डब्ल्यूसी	यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस की निष्क्रियता	0.50	उत्तर प्रदेश।
39	151/20/12/2018	पुलिस की गोलीबारी में मौत	7.50	राजस्थान
40	498/35/2/2020	राजस्व अधिकारियों की हवालात में मौत	5.00	उत्तराखंड
41	151/3/22/2020	चिकित्सकीय लापरवाही	3.00	असम
42	19376/24/20/2022	चिकित्साकीय लापरवाही	7.00	उत्तर प्रदेश।
43	317/3/3/2022	नाबालिग घरेलू सहायिका की मौत	2.00	असम
44	20775/24/59/2022	प्राथमिक विद्यालय का गेट गिरने से एक लड़की की मौत	2.00	उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
45	340/20/18/2022	नाबालिग छात्रा का उसके शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न	5.00	राजस्थान
46	1196/18/6/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	4.00	ओडिशा
47	3999/18/27/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	5.00	ओडिशा
48	3280/4/12/2020	बिजली का करंट लगने से मौत	4.00	बिहार
49	1236/30/6/2022	पुलिस द्वारा उत्पीड़न	1.25	दिल्ली
50	2584/12/22/2022	बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ पुलिस का अत्याचार	1.00	मध्य प्रदेश
51	1817/24/61/2021	पुलिस द्वारा यातना	2.00	उत्तर प्रदेश

केस स्टडीज

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन उनकी कानूनी कार्रवाई की कमी, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ था। इसलिए, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत न केवल मामले-दर-मामला आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति की, बल्कि मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत देने की भी संस्तुति की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा अपनी संस्तुतियों के अनुपालन की रिपोर्ट भी मिली। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

विचाराधीन कैदी की मौत

(केस संख्या 4343/30/9/2019-जेसीडी)

आयोग को 2019 में केंद्रीय जेल नंबर 1, तिहाड़, नई दिल्ली के अधीक्षक से एक विचाराधीन कैदी की मौत के संबंध में सूचना मिली थी। आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और राज्य के अधिकारियों से मामले में रिपोर्ट मांगी। विभिन्न फॉलो-अप के बाद, संबंधित अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि पीड़ित की मौत के लिए कोई भी अधिकारी या लोक सेवक जिम्मेदार नहीं है। हालांकि, यह भी पाया गया कि जेल में भर्ती होने के बाद कैदी को कुछ समय बाद ही समस्याएं होने लगीं। उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया और उसके गले पर लिगचर मार्क था। आयोग ने पाया कि अगर जेल स्टाफ सतर्क होता तो उसकी जान बच सकती थी। राज्य की हिरासत में किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा राज्य अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसलिए, आयोग ने संस्तुति की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उसके निकटतम सम्बंधी को 5 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका भुगतान किया गया था।

पुलिस अत्याचार

(केस नं. 117/10/1/2024)

यह मामला 2023 में बेंगलुरु, कर्नाटक में घटित उस घटना से संबंधित है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने पीड़ित को धमकाया, अवैध रूप से उसके फोन-पे खाते का पता करके जबरन 50,000 रुपये दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिए।

आरोपी अधिकारियों ने केस फाइल से महत्वपूर्ण सबूत मिटा दिए, शिकायतकर्ता को डराया-धमकाया और उसके खिलाफ झूठे आरोप गढ़ने की कोशिश की। आरोपी अधिकारियों ने उसके परिवार के सदस्यों को डिप्टी एसपी ऑफिस, पीएस हेब्बागोड्डी में बुलाया और 50,000 रुपये की रिश्वत ली।

आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और राज्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। आयोग ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट से पाया कि 50,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप सत्य थे और सरजापुरा पुलिस स्टेशन के आरोपी पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई। इसलिए, आयोग ने संस्तुति की कि कर्नाटक सरकार पीड़ित को राहत के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका अनुपालन किया गया।

घटनास्थल पूछताछ

केस नं.32320/24/31/2023

17-19 फरवरी, 2025 तक एनएचआरसी, भारत की टीम ने पुलिस कर्मियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों पर गाजियाबाद, यूपी में घटनास्थल पर जाकर जांच की।

केस संख्या: 33/30/3/2025

17 से 21 फरवरी, 2025 तक एनएचआरसी, भारत की टीम ने तिहाड़ जेल, दिल्ली में जेल अधिकारियों द्वारा अवैध गतिविधियों, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में घटनास्थल पर जाकर जांच की।

केस नं. 1031/24/67/2025

26 से 28 फरवरी, 2025 तक, एनएचआरसी, भारत की टीम ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में पुलिस निष्क्रियता की शिकायत के संबंध में सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में घटनास्थल पर जाकर जांच की।

केस नं. 174/34/7/2024

26 से 28 फरवरी, 2025 तक, एनएचआरसी, भारत की टीम ने गढ़वा, झारखंड में एक लोक सेवक द्वारा हत्या के मामले में एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता के आरोपों के बारे में घटनास्थल पर जाकर जांच की।

क्षेत्रीय दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मानव अधिकारों और संबंधित राज्य सरकारों और उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग द्वारा जारी परामर्शियों की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं। इन दौरों में वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों आदि का भी दौरा करते हैं और सरकारी अधिकारियों को मानव अधिकारों के हित में आवश्यक प्रयास करने के लिए जागरूक करते हैं। आयोग द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के शीघ्र निपटान में की मदद करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी जोर देता है।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य का दौरा

एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने 8 फरवरी, 2025 को तमिलनाडु के तिरुपति में एसवी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया। उन्होंने तिरुपति जिला एमआरओ और राजस्व अधिकारी से भी बातचीत की और हॉस्टल कमियों के बारे में उल्लेख किया। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर, 13 फरवरी, 2025 को एमआरओ, तिरुपति ने तिरुपति में बीसी कल्याण और आदिवासी कल्याण हॉस्टल का दौरा किया और इन संस्थानों के कामकाज के ग्रे क्षेत्रों में सुधारात्मक उपाय किए।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी अपने क्षेत्र दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ बातचीत करती हुई

विशेष प्रतिवेदक और मॉनिटर

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों और इसी तरह के संस्थानों का दौरा करते हैं, आयोग के लिए रिपोर्ट संकलित करते हैं जिसमें भविष्य की कार्रवाई के लिए उनके अवलोकन और सुझाव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 21 विशेष मॉनीटर्स को नियुक्त किया है जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की देखरेख करने और आयोग को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है। फरवरी, 2025 के दौरान, विशेष प्रतिवेदकों और मॉनीटर्स ने कई स्थानों का दौरा किया।

विशेष प्रतिवेदक

i.) 4 से 11 फरवरी, 2025 तक श्री उमेश कुमार शर्मा ने गुजरात और दीव (यूटी) में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों का दौरा किया।

ii.) 23 से 27 फरवरी, 2025 तक श्री महेश सिंगला ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए दिल्ली में वृद्धाश्रम/वरिष्ठ नागरिक गृह का दौरा किया।

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष प्रतिवेदक, श्री महेश सिंगला दिल्ली में वृद्धाश्रम का दौरा करते हुए

iii.) 27 से 28 फरवरी, 2025 तक श्रीमती सुचित्रा सिन्हा ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए वृद्धाश्रम, रांची एससी/एसटी स्कूल, रामगढ़; कस्तूरबा गांधी विद्यालय, रामगढ़; अनाथालय गृह, रामगढ; वृद्धाश्रम, रामगढ़) का दौरा किया;।

iv.) 26 से 28 फरवरी, 2025 तक श्री उमेश कुमार ने मेघालय के लैटकोर के पोमलकराई में आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा और निरीक्षण किया।

विशेष मॉनिटर

i.) 17-20 फरवरी, 2025 तक श्री खुशवंत सिंह सेठी ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के तीन जिलों (उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी) की पंचायतों का दौरा किया।

ii.) 17 से 22 फरवरी, 2025 तक डॉ. प्रदीप्त कुमार नायक ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों में कुष्ठ कार्यक्रम, समाज कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य विभागों, अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी, सामान्य समुदायों और कुष्ठ कॉलोनियों के राज्य और जिला अधिकारियों और आरएलटीआरआई, रायपुर का दौरा किया।

iii.) 20-27 फरवरी, 2025 तक श्री बालकृष्ण गोयल ने गोवा में वृद्धाश्रमों, बाल देखभाल संस्थानों, पर्यवेक्षण गृहों और आंगनवाड़ी केंद्रों आदि का घटनास्थल पर निरीक्षण और डेटा संग्रह के लिए दौरा किया।

iv.) 26 से 28 फरवरी, 2025 तक श्री योगेश दुबे ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए गुवाहाटी, असम में वन स्टॉप सेंटर, कामकाजी महिला छात्रावास, सुगम्य भारत अभियान, बालिका गृह/गर्ल्स होम आदि का दौरा किया।

v.) 26-28 फरवरी, 2025 तक श्री प्रेम सिंह बिष्ट ने कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में व्यवसाय और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघन की आशंका वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का दौरा और निरीक्षण किया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को मानव अधिकारों संरक्षण एवं संवर्धन तथा उनके बारे में जागरूकता का प्रसार करने हेतु अधिदिष्ट है। यह अपने जनसंपर्क और मानव अधिकार संवेदनशीलता का विस्तार करने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगी प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित कर रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत रूप से और साथ ही ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। ऑनलाइन इंटर्नशिप यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र बिना किसी यात्रा और दिल्ली में रहने के खर्च के इसमें शामिल हो सकें। इसके अलावा, आयोग सभी संस्थानों में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन मिशन के रूप में विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक अनुकूलित मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की रक्षा की जाए।

जेल और सुधारात्मक प्रशासन अकादमी के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 13 फरवरी, 2025 को, जेल और सुधारात्मक प्रशासन अकादमी (एपीसीए) वेल्लोर, तमिलनाडु के 30 पुलिस अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इसका उद्देश्य जेल प्रशासन के संदर्भ में मानव अधिकारों और विधिसम्मत ढाँचों की उनकी समझ को बढ़ाना था, न्याय और गरिमा को बनाए रखने में सुधार अधिकारियों की भूमिका को मज़बूत करना था।

अपने संबोधन में, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने अपने पेशे में रोल मॉडल के रूप में काम करने वाले प्रशिक्षुओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों को केवल नौकरी के रूप में न देखें, बल्कि एक चुने हुए धर्म के रूप में देखें, कानून को अक्षरशः और भावना से बनाए रखें और अपनी हिरासत में सभी के लिए बुनियादी मानव अधिकार सुनिश्चित करें। उन्होंने अपनी देखभाल में व्यक्तियों के लिए एक मानवीय और पुनर्वास जेल वातावरण को आकार देने में सुधार अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।

आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिकारियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए। प्रेजेंटिंग ऑफिसर सुश्री विजय लक्ष्मी विहान ने मानव अधिकार संरक्षण (पीएचआर) अधिनियम, 1993 और आयोग के विधि प्रभाग के कामकाज का विवरण दिया। पुलिस उपाधीक्षक श्री दुष्यंत सिंह ने जेल प्रशासन में मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्वेषण प्रभाग के कामकाज के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक श्री संजीव शर्मा ने आयोग की ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली पर एक सत्र लिया, जिसमें लॉगिन निर्माण, मौत सूचना अपलोड करना, कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि और उपलब्ध डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना शामिल था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन एनएचआरसी, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल अधिकारियों को संबोधित करते हुए

भारतीय वन सेवा अधिकारी

आयोग ने 14 फरवरी, 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के 14वें मिड करियर कोर्स (चरण III) के हिस्से के रूप में भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। अधिकारियों को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने देश की प्राकृतिक विरासत की रक्षा में भारतीय वन सेवा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे विकास की जरूरतों को संरक्षण की अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए, उन्हें वन कानून के ऐतिहासिक संदर्भ, उभरती चुनौतियों और कानून, नीति और प्रवर्तन के बीच परस्पर क्रिया को समझने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष ने ब्रिटिश काल से लेकर वर्तमान तक वन कानून के ऐतिहासिक विकास पर भी प्रकाश डाला, तथा विकास और संरक्षण के बीच संतुलन में आए बदलाव पर जोर दिया। चर्चा में 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के वन भूमि अधिग्रहण पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वन संरक्षण अधिनियम में 2023 का संशोधन किया गया।

उन्होंने कहा कि वन संरक्षण को स्वरूप प्रदान करने में न्यायालयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन भारतीय वन सेवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए।

उदाहरण के लिए, 1995 के ऐतिहासिक टीएन गोदावर्मन मामले ने वन क्षेत्र पर लकड़ी उद्योग के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया। इस मामले ने न केवल मजबूत कानूनों की आवश्यकता को उजागर किया, बल्कि प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की भी आवश्यकता को उजागर किया। गोदावर्मन मामले में न्यायालय की निरंतर भागीदारी, 'निरंतर परमादेश' की अवधारणा के माध्यम से, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में लगातार चुनौतियों को रेखांकित करती है।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने संबोधन में कहा कि इतिहास बताता है कि कैसे चिंतन के क्षण भाग्य को नया रूप दे सकते हैं और परिवर्तन ला सकते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग

▶ भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रशिक्षण में भाग लेते हुए

युद्ध के बाद शांति का मार्ग अपनाया। इसी तरह, गौतम बुद्ध ने अपने विशेषाधिकारों को त्याग दिया, ज्ञान प्राप्त किया और मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी को ट्रेन से निकाले जाने से दुनिया भर में एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने मानवता की नियति बदल दी।

श्री लाल ने कहा कि मानव अधिकार सबसे बुनियादी ज़रूरत है और हमें सभी के अधिकारों के संरक्षा हेतु उन पर विश्वास करना होगा, खासकर हाशिए पर रहे लोगों के। उन्होंने भारतीय संविधान में निहित मानव अधिकार सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 32 के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जो जाति, लिंग या धर्म के बावजूद समान अधिकारों की गारंटी देता है। उन्होंने अपने करियर के बाद के चरणों में नीतियों के रणनीतिक विकास के लिए नींव के रूप में शुरुआती क्षेत्र के अनुभव का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला।

श्री लाल ने आयोग के संविधान के बारे में भी जानकारी दी, जो पीएचआर अधिनियम, 1993 के अनुसार है। उन्होंने आयोग के विभिन्न कार्यों के अलावा आयोग के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने द्वारा अर्जित ज्ञान पर विचार करें और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए इसे आगे ले जाएं। इसके बाद एक ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। सत्र का समापन एनएचआरसी, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा आयोजित दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम 7 फरवरी, 2025 को संपन्न हुआ। इसकी शुरुआत 27 जनवरी, 2025 को देश के विभिन्न क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 70 छात्रों के साथ हुई थी।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने समापन भाषण में छात्रों को उनकी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए बधाई दी। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न सत्रों में प्राप्त ज्ञान पर विचार करें और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए इसे आगे बढ़ाएँ।

श्री लाल ने कहा कि देश ने बहुत संघर्ष करके संविधान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए हैं। हाल के वर्षों में सभी के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जीवन को आसान बनाने और सभी के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। विचार यह है कि कोई भी पीछे न छूटे। देश के युवाओं को बदलते समय के साथ

एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल आयोग के ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

तालमेल बिठाते हुए नए विचारों के साथ देश के सर्वांगीण विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए।

महासचिव ने छात्रों को सहानुभूति और संवेदनशीलता के मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बार किसी की मदद करने का अवसर खो जाने पर, वह हमेशा के लिए खो जाता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, जीवन जीने में आसानी हो, सभी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच हो, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल हों, सभी के लिए शिक्षा हो और कमज़ोर और हाशिए पर रहे लोगों सहित हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो।

एनएचआरसी, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की। वरिष्ठ एनएचआरसी अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर सत्रों के अलावा, प्रशिक्षुओं को दिल्ली में तिहाड़ जेल और आशा किरण आश्रय गृह का वर्चुअल दौरा भी कराया गया। उन्हें विभिन्न सरकारी संस्थाओं के कामकाज, मानव अधिकारों संरक्षण तंत्र, जमीनी हकीकत और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रजेंटेशन और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं की भी घोषणा की।

कार्यशालाएं

फरवरी, 2025 के दौरान आयोग ने 04 सहयोगात्मक मानव अधिकार जागरूकता कार्यशालाओं का भी समर्थन किया जो इस प्रकार थीं:

- 3 फरवरी, 2025 को एनएचआरसी, भारत ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सहयोग से 'कैदियों के मानव अधिकार : मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बीबीएयू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कार्यशाला

- 10 फरवरी, 2025 को एनएचआरसी, भारत ने मेघालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 'बुजुर्गों का जीवन मायने रखता है: एक मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य बुजुर्गों के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना था। इसमें लगभग 250 प्रतिभागी शामिल हुए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेघालय में कार्यशाला

- 15 फरवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत ने स्कूल ऑफ लॉ, सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के सहयोग से 'मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 24 फरवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत ने राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज (स्वायत्त), कोच्चि, केरल के सहयोग से दो दिवसीय मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 120 छात्र और संकाय सदस्य शामिल हुए। इसमें भारत में मानव अधिकार और क्वीर ट्रांस मानसिक स्वास्थ्य, भारतीय दृष्टिकोण से मानव दुर्व्यापार विरोधी, कमजोर समूहों के अधिकार, केरल में मानव अधिकार और रैगिंग, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल अधिकार, पोक्सो अधिनियम, 2012 और जेजे अधिनियम, 2015 से संबंधित विषयों को शामिल किया गया।

▶ स्कूल ऑफ लॉ, सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कार्यशाला

▶ राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, कोच्चि, केरल में कार्यशाला

ज्ञानार्जन दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत कॉलेज स्तर के छात्रों और उनके संकायों के बीच मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें मानव अधिकारों, उनके संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, (पीएचआरए), 1993 के अनुरूप इस उद्देश्य के लिए इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है। फरवरी 2025 के दौरान,विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 329 छात्रों और संकाय सदस्यों ने आयोग का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधि और अन्वेषण प्रभागों और शिकायत प्रबंधन प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। उनके दौरे इस प्रकार थे:

- 3 फरवरी, 2025 को गोखले एजुकेशन सोसाइटी लॉ कॉलेज, रायगढ़, महाराष्ट्र के 35 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों ने एनएचआरसी का दौरा किया।

- 14 फरवरी, 2025 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, नागपुर, महाराष्ट्र और इस्लामिया कॉलेज ऑफ लॉ, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के 91 छात्रों और संकायों के एक समूह ने एनएचआरसी का दौरा किया।

- 17 फरवरी, 2025 को सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, मुंबई, महाराष्ट्र के 36 छात्रों और एक संकाय सदस्य के एक बैच ने एनएचआरसी का दौरा किया।

- 20 फरवरी, 2025 को यशवंत महाविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र के 28 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों तथा दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (डीआईएलएस), दुर्गापुर,

पश्चिम बंगाल के 36 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों के एक समूह ने एनएचआरसी का दौरा किया।

- 21 फरवरी, 2025 को अंजुमन-ए-इस्लाम के बैरिस्टर एआर अंतुले कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई, महाराष्ट्र के 42 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों के एक बैच ने एनएचआरसी का दौरा किया।
- 24 फरवरी, 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेंटर के 50 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों ने एनएचआरसी का दौरा किया।

पुरस्कार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कारों की शुरुआत की है। मानव अधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता 2015 में शुरू की गई ऐसी ही एक योजना है। तब से, देश के विभिन्न हिस्सों से कई लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और आयोग के संग्रह में मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर डाक्यूमेंट्री सहित कुछ गुणवत्ता वाली लघु फिल्मों का योगदान दिया है, जिन्हें जागरूकता उद्देश्यों के लिए इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

एनएचआरसी, भारत लघु फिल्म प्रतियोगिता 2024 के विजेता

आयोग ने 2024 में मानव अधिकारों पर लघु फिल्मों के लिए अपनी दसवीं प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है। आयोग द्वारा 2 लाख रुपये के प्रथम पुरस्कार के लिए 'दूध गंगा-घाटी की मरती हुई जीवनरेखा' को चुना गया है। जम्मू और कश्मीर के इंजीनियर अब्दुल रशीद भट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि किस तरह दूध गंगा नदी के स्वच्छ जल में विभिन्न अपशिष्टों के मुक्त प्रवाह ने इसे प्रदूषित किया है और घाटी के लोगों की समग्र कल्याण के लिए इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में हैं।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन की अध्यक्षता में लघु फिल्म प्रतियोगिता के अंतिम चरण जूरी बैठक

आंध्र प्रदेश के कदारप्पा राजू की 'फाइट फॉर राइट्स' को 1.5 लाख रुपये के दूसरे पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह फिल्म बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दे को उठाती है। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ तेलुगु भाषा में है।

तमिलनाडु के श्री आर. रविचंद्रन की 'गॉड' को 1 लाख रुपये के तीसरे पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह एक मूक फिल्म है, जिसमें एक बूढ़े नायक के माध्यम से पीने योग्य पानी के मूल्य को दर्शाया गया है।

आयोग ने 'विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र' के लिए चुनी गई चार लघु फिल्मों को 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार देने का भी फैसला किया है। ये हैं:

1. तेलंगाना के श्री हनीश उंद्रमटला की 'अक्षराभ्यासम'। यह एक मूक फिल्म है, जो बाल शिक्षा के महत्व के मुद्दे को उठाती है;

▶ पुरस्कार विजेताओं का फैसला करने के लिए जूरी लघु फिल्में देखते हुए

2. तमिलनाडु के श्री आर. सेल्वम की 'विलायिला पट्टाथारी (एन इनएक्सपेंसिव ग्रेजुएट)'। यह अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ तमिल भाषा में हैं। फिल्म वृद्ध व्यक्तियों की चिंताओं और अधिकारों पर आधारित है;

3. आंध्र प्रदेश के श्री मदका वेंकट सत्यनारायण की 'लाइफ ऑफ सीता'। यह अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ तेलुगु भाषा में हैं। फिल्म धार्मिक प्रथाओं के कारण बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है;

4. आंध्र प्रदेश के श्री लोटला नवीन की 'बी ए ह्यूमन' अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ हिंदी भाषा में बनी फिल्म घरेलू हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार, बालिकाओं को छोड़ने और सामाजिक हस्तक्षेप से जुड़े मुद्दों को दर्शाती है।

पूर्ण आयोग जूरी की अध्यक्षता एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने की, जिसमें न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल, महानिदेशक (अन्वेषण), श्री आर. प्रसाद मीना, और रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह शामिल थे।

वर्ष 2024 में इस प्रतियोगिता के दसवें संस्करण के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न भारतीय भाषाओं में निर्धारित समय के भीतर प्राप्त रिकॉर्ड 303 लघु फिल्मों की जांच के बाद, पुरस्कारों के लिए 243 प्रविष्टियां सूची में थीं। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बाद में किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए आयोग के कामकाज को समझने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य एनएचआरआई के साथ बातचीत करने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के लिए चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाते हैं।

प्रतिनिधिमंडल का एनएचआरसी, भारत का दौरा

26 फरवरी, 2025 को शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपने सीईओ राजदूत इवो डाल्डर के नेतृत्व में महासचिव श्री भरत लाल से भेंट की। उन्होंने मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय लोकाचार, संवैधानिक मूल्यों और संस्थागत ढांचे के बारे में बात की।

27 फरवरी, 2025 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची ने एनएचआरसी के भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन से भेंट की। वे महासचिव श्री भरत लाल से भी मिले। राजदूत बागची ने अध्यक्ष को जिनेवा में स्थायी मिशन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मानव अधिकारों में उभरते मुद्दों पर एनएचआरसी के महासचिव के साथ व्यापक चर्चा की।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर बढ़ते आयामों और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण हमेशा एक प्रगतिशील कार्य है। भारत में, लोगों के बुनियादी मानव अधिकारों का संरक्षण करके उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों के अलावा, विधायिका, न्यायपालिका, एक जीवंत मीडिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) जैसी संस्थाएँ हैं, साथ ही अन्य राष्ट्रीय आयोग और उनके राज्य समकक्ष समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों के मुद्दों के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। इस कॉलम का उद्देश्य मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एसएचआरसी द्वारा की गई असाधारण गतिविधियों को उजागर करना है।

अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एपीएसएचआरसी) ने 14 फरवरी, 2025 को ईटानगर स्थित अपने कार्यालय में मणिपुर मानव अधिकार आयोग (एमएचआरसी) के साथ संयुक्त परामर्श बैठक आयोजित की। बैठक में सर्वोत्तम प्रथाओं, कार्य प्रोटोकॉल को साझा करने और मानव अधिकार संरक्षण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

▶ एपीएसएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बामंग तागो और वरिष्ठ अधिकारी मणिपुर एसएचआरसी के दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के साथ

विशेषज्ञों, अधिकारियों और हितधारकों ने मानव अधिकार उल्लंघनों से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण पर चर्चा की। सत्रों में एपीएसएचआरसी और एमएचआरसी के इतिहास और कार्यप्रणाली, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और पेरिस सिद्धांतों, राज्य में मानव अधिकार नीतियों के कार्यान्वयन में सफल पहलों और चुनौतियों पर चर्चा की गई।

बैठक में संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न मानव अधिकार निकायों, सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह जागरूकता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी व्यक्तियों के लिए मानव अधिकार सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुआ।

एपीएसएचआरसी ने राजधानी ईटानगर में पुनर्वास केंद्रों का भी दौरा किया और इसकी सुविधाओं,

▶ एपीएसएचआरसी के अधिकारी ईटानगर में पुनर्वास केंद्रों का दौरा करते हुए

संचालन और कैदियों के कल्याण का मूल्यांकन किया। उन्होंने निवासियों से बातचीत की, पुनर्वास कार्यक्रमों की समीक्षा की और निवासियों की जीवन स्थितियों का आकलन किया। उन्होंने निवासियों को नशे की लत से उबरने और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को फिर से बनाने में मदद करने के लिए देखभाल, सहायता और कौशल विकास में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए।

पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग

29 जनवरी, 2025 को पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग (पीएसएचआरसी) ने चंडीगढ़ की मॉडल जेल (बुड़ैल जेल) का निरीक्षण किया, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संत प्रकाश ने किया। जेल में 977 कैदी हैं, जिनमें 39 महिलाएँ और दो बच्चे अपनी माताओं के साथ रहते हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश ने बैरकों का दौरा किया और कैदियों से बातचीत की, ताकि उनकी शिकायतों का पता लगाया जा सके और समाधान सुझाए जा सकें। निरीक्षण किए गए प्रमुख क्षेत्रों में कैंटीन, अस्पताल, कला केंद्र, रसोई और आंतरिक रेडियो स्टेशन शामिल थे।

उन्होंने रेडियो पहल की सराहना की और मानव अधिकारों तथा बीमारियों की रोकथाम पर शैक्षिक कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। जेल में बिक्री के लिए मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री तथा चिकित्सा सुविधाओं की भी समीक्षा की गई और उन्हें संतोषजनक पाया गया। न्यायमूर्ति प्रकाश ने महिला कैदियों से भी बातचीत की तथा जेल में अपनी मां के साथ रह रहे एक बच्चे के लिए स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश प्रशासन को दिया।

▶ पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संत प्रकाश चंडीगढ़ स्थित मॉडल जेल का निरीक्षण करते हुए

10 फरवरी, 2025 को न्यायमूर्ति प्रकाश ने पठानकोट की उप जेल का निरीक्षण किया, जिसमें 67 कैदी थे। एक समर्पित डिस्पेंसरी की कमी के बारे में चिंता का समाधान किया गया, तथा एक अस्थायी चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए। अध्यक्ष ने कैदियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए मोमबत्ती बनाने की पहल की प्रशंसा की।

उसी दिन न्यायमूर्ति प्रकाश ने पंजाब के एक सुदूर गांव घाट बगरौली में जागृति सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखी। उन्होंने खराब बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा की कमी जैसी चुनौतियों पर बात की और ग्रामीणों को आवश्यक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया।

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने फरवरी, 2025 के दौरान मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों के सिलसिले में बेलगावी और मांड्या जिलों का दौरा किया। मांड्या में केएसएचआरसी ने 28 फरवरी को पूर्ण पीठ की बैठक की और 24 मामलों का समाधान किया। उपायुक्त, सीईओ जिला पंचायत और पुलिस अधीक्षक तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। आयोग ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया, जिसमें मांड्या जिले के विभिन्न विभागों के 300 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

इसके अलावा, अधिकारियों ने जिला कारागार, सरकारी बालिका एवं बालक छात्रावासों तथा जिले में अन्य सरकारी वित्तपोषित संस्थानों का भी औचक निरीक्षण किया तथा आम जनता एवं अन्य हितधारकों से बातचीत की।

माह के दौरान, केएसएचआरसी ने मानव अधिकार उल्लंघन के 330 मामलों का निपटारा किया; 5 मामलों में 13 लाख रुपये के मुआवजे की संस्तुति की तथा दोषी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति की।

▶ कर्नाटक एसएचआरसी प्रतिनिधिमंडल क्षेत्र दौरे पर

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग (एमएसएचआरसी) ने फरवरी, 2025 के दौरान, इंदौर जिला जेल में बंद एक महिला विचाराधीन कैदी की आत्महत्या के कारण उसके निकटतम संबंधी को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की। इसके अलावा, मानव अधिकार उल्लंघन के 14 अन्य मामलों में, एमएसएचआरसी को पीड़ितों या निकटतम संबंधी को 66 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के भुगतान के साथ सार्वजनिक अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई।

संक्षेप में समाचार

- 2 फरवरी, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी ने ओडिशा के कटक के बेलगाछिया त्रिसूलिया में सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का उद्घाटन किया, जिसका प्रबंधन कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। सदस्य ने मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने तथा शिक्षा के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

- 3 फरवरी, 2025 को, एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली में 'वैश्वीकृत दुनिया में मानव अधिकार ' पर एक व्यावहारिक व्याख्यान दिया, जिसमें संकाय और छात्र उपस्थित थे। उनके संबोधन में भारत की सहानुभूति और करुणा की सभ्यतागत प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है या किसी अन्य देश पर हमला नहीं किया है। इसमें सभी के लिए समानता और सम्मान की परंपरा है, यहाँ चार धर्मों की उत्पत्ति हुई है जो अहिंसा सिखाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया के चार धर्म भारत में फले-फूले हैं।

  श्री लाल ने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा, आतंकवाद और युद्ध मानव अधिकारों के विपरीत हैं, और उन्होंने सताए गए लोगों को शरण देने के भारत के लंबे इतिहास पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक दक्षिण की विकासात्मक आकांक्षाओं के साथ भारत के सरोखण का उल्लेख किया, साझाकरण और न्याय का समर्थन किया। उन्होंने संविधान के बारे में भी बात की जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की समर्थन करता है, यूडीएचआर की भावना को आत्मसात करता है जो व्यक्तियों को समानता और सम्मान सुनिश्चित करता है।

  उन्होंने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों, न्यायपालिका की भूमिका, मौलिक अधिकारों, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को आगे बढ़ाने, मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण की रूपरेखा, एनएचआरसी के काम, शिकायत प्रबंधन प्रणाली आदि पर प्रकाश डाला। उन्होंने यूडीएचआर, यूएनएचआरसी, गनहरी द्वारा मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के बारे में भी बात की। उन्होंने कोविड-19 के दौरान वैश्विक बिरादरी का समर्थन करने में भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जो वसुधैव कुटुम्बकम- दुनिया एक परिवार है के अपने प्राचीन लोकाचार के साथ सरेखित है।

  जेएनयू के एसआईएस के डीन प्रोफेसर अमिताभ मट्टू ने सत्र की अध्यक्षता की और इस व्याख्यान श्रृंखला में श्री लाल के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की, जिसमें अन्यथा केवल प्रख्यात शिक्षाविद ही शामिल होते हैं। व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया।

- 4 फरवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी ने विश्व कैंसर दिवस पर प्रमेय और न्यूज़ 7 द्वारा कटक, ओडिशा में आयोजित 'वॉक फॉर द वॉरियर्स' पर एक सेमिनार को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 10 फरवरी, 2025 को महासचिव श्री भरत लाल ने आईआईएम, बोधगया के वार्षिक नेतृत्व सम्मेलन 'नेत्रत्व' का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने नेतृत्व को आकार देने वाले सभ्यतागत

और सांस्कृतिक मूल्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने ऐसे लोगों के कई उदाहरण दिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई और सम्मान के लिए समर्पित कर दिया और लाखों लोगों को उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसमें सहानुभूति, करुणा और निस्वार्थता के भारतीय लोकाचार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई।

- 12 फरवरी, 2025 को एनएचआरसी सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने छात्रों से मानव अधिकारों के अनुपालन के अग्रदूत बनने और बेजुबानों की आवाज बनने का आह्वान किया। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज के 34वें वार्षिक दिवस और पुरस्कार वितरण समारोह की मुख्य अतिथि थीं।

- 12 फरवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने प्रिंसटन फाउंडेशन फॉर पीस एंड लर्निंग द्वारा आयोजित एक सत्र में सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली में छात्रों के साथ बातचीत की।

- 14 फरवरी, 2025 को, श्री प्रियांक कानूनगो, सदस्य, एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश सरकार और अतुल्य भारत (पर्यटन मंत्रालय) के सहयोग से महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान इंडिया थिंक काउंसिल द्वारा चौथे सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था सम्मेलन #सीईसी25 और महाकुंभ संवाद में भाग लेने के लिए प्रयागराज का दौरा किया।

- 18-20 फरवरी, 2025 तक, मेजर विष्णु एसपी, अवर सचिव, एनएचआरसी ने बैंकॉक, थाईलैंड में एशिया प्रशांत फोरम द्वारा प्रायोजित गनहरी मान्यता पर एपीएफ वार्षिक कार्यक्रम पर व्यक्तिगत रूप से कार्यशाला में भाग लिया।

- 20 फरवरी, 2025 को एनएचआरसी महासचिव श्री भरत लाल ने एनएचआरसी, भारत के सहयोग से दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज द्वारा आयोजित 'सतत भविष्य: पर्यावरण और जलवायु नीतियों में मानव अधिकारों का एकीकरण' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हुए। श्री लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हम होमो सेपियंस ही पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। भारत ने हमेशा अपने पूर्वजों और आदिवासी समुदायों के न्यूनतम, प्रकृति से जुड़े जीवन का अनुसरण किया है। मानव अधिकार, सम्मान और पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह आत्मचिंतन और ग्रह पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानने का समय है। महात्मा गांधी और सम्राट अशोक की तरह, हमें अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए आत्मनिरीक्षण का उपयोग करना चाहिए।

- श्री लाल ने छात्रों से मानव अधिकारों , सम्मान और पर्यावरण के बारे में अपनी समझ को गहन बनाने और उस पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने जीवन में उद्देश्य खोजने के महत्व पर जोर दिया ताकि सार्थक योगदान दिया जा सके और हमारे एकमात्र रहने योग्य ग्रह पृथ्वी के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

- उन्होंने कहा कि भारत सभी के लिए शौचालय, रसोई गैस और स्वच्छ नल जल जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है, साथ ही नदियों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और पर्यावरण में सुधार पर भी काम कर रहा है।

- 27 फरवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी ने, ओडिशा के भुवनेश्वर में ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंडिया द्वारा आयोजित ओडिशा मानव अधिकार सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 28 फरवरी, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएसएनएलयू), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित 'तेजी से बढ़ते डिजिटल परिदृश्य में आईपी और निजता को फिर से परिभाषित करना' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक न केवल व्यक्तियों की निजता पर आक्रमण कर रही है, बल्कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का भी उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा शासन का इतिहास लगभग 230 साल पुराना है। लेकिन अपने शासन की पहली 2 शताब्दियों में, आईपी शासन को उस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका सामना उसे इंटरनेट के आगमन और डिजिटल तकनीक के विकास के बाद करना पड़ा।

  उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले ट्रेडमार्क से संबंधित मामलों की तुलना में अधिक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने अमेरिका और भारत में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए इस जटिल मुद्दे को उजागर किया। अध्यक्ष ने कहा कि एआई के आगमन के साथ, इस बहस में निजता और चोरी के और आयाम जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आईपी व्यवस्था को करंट लगा है, तो डिजिटल तकनीक से निजता के अधिकारों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है।

आगामी कार्यक्रम

3 से 8 मार्च, 2025 तक	आयोग वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
3 मार्च, 2025 से	आयोग की ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप शुरू होगी।

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

फरवरी, 2025 में शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	3,689
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	1,988
आयोग के विचाराधीन मामलों की संख्या	9,459

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित। सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल। क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95